

①

कार्यालय निदेशक सैकडरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 23- 1556-2000 वि० T 38 दिनांक चण्डीगढ़:-

आर्य कन्या पब्लिक स्कूल पानीपत

को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10+2 तक स्तर की सम्बन्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के जो कल्प बनेंगे विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागीय हिदायतों की बालना न करने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र वापिस लिया जा सकता है।

सुमिता मिश्रा सिंह
निदेशक सैकडरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक तम दिनांक चण्डीगढ़:- 7-3-2011

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शिक्षा आधिकारिक पानीपत को उनके पत्र क्रमांक 11/2000/527-28 दिनांक 01.22.12.2000 के अन्तर्गत।
2. प्रमुख/सुपेन्डन्ट/प्रिंसिपल आर्य कन्या पब्लिक स्कूल पानीपत शिक्षा पानीपत

3. तथ्य. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्प्यूटिटी सेंटर प्रीत बिलार, नई दिल्ली- 110092.

Mcenatorhi
Principal
ARYA GIRLS PUBLIC SCHOOL
PANIPAT (HR.)

अधीक्षक विद्यालय
निदेशक सैकडरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़।